झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

24 कार्तिक 1922 शकाब्द

संख्या 1

रांची बुधवार, 15 नवम्बर, 2000

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

झारखण्ड राज्य लिखितों एवं आदेशों के अधिप्रमाणन नियमावली, 2000

अधिसूचना
15 नवम्बर, 2000

संख्या 1—सं०ए.....—भारत संविधान के अनुच्छेद 166 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:—
   (1) यह नियमावली झारखण्ड राज्य लिखितों एवं आदेशों के अधिप्रमाणन नियमावली, 2000 कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   (3) वह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. झारखण्ड सरकार द्वारा या उसकी ओर से जो भी आदेश दिया जायेगा या लिखित निष्पादित किया जायेगा, उसे इस रूप में अभिव्यक्त किया जायेगा कि वह झारखण्ड राज्यपाल द्वारा या उनके आदेश से दिया गया आदेश या निष्पादित लिखित है।

3. उन दशाओं को छोड़कर जहां किसी पदाधिकारी को झारखण्ड सरकार के किसी आदेश या लिखित पर हस्ताक्षर करने के लिए विशेष रूप से सशक्त किया गया हो, झारखण्ड सरकार के हर आदेश या लिखित पर या तो झारखण्ड सरकार का कोई सचिव, संयुक्त-सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, सहायक सचिव या बजट पदाधिकारी या लोक निर्माण विभाग के सम्पदा पदाधिकारी (इस्टेट अफसर) हस्ताक्षर करेंगे और ऐसा हस्ताक्षर इन आदेश या लिखितों का समुचित अधिप्रमाणन समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण :—इस नियमावली में सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर-सचिव तथा सहायक सचिव के प्रति निर्देशों में क्रमश: अपर सचिव, अपर संयुक्त सचिव, अपर उप सचिव, अपर अवर सचिव तथा अपर सहायक सचिव भी सम्मिलित हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के मुख्य सचिव।

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, रांची द्वारा प्रकाशित तथा
अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, झारखण्ड, रांची द्वारा मुद्रित।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 1—500+500—शनि मुण्डा।